रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2008/माघ 8, 1929

No. 47] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2008/MAGHA 8, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का पंजाब अधिनियम सं. 8) का, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. अधिनियम की धारा 1 में,—

(क) उप-धारा (1) में "पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों से पहले "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।"

2. धारा 2 में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" शब्दों और अंकों से पहले "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. यू-11020/1/2007-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

उपाबंध

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

31 जुलाई, 2007

सं. 11-वि./2007.—पंजाब राज्य के विधान-मंडल के निम्नलिखित अधिनियम को पंजाब सरकार की 23 जुलाई, 2007 को अनुमति प्राप्त हुई और यह सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है—

पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का पंजाब अधिनियम संख्या 8)

पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. 2005 के पंजाब अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 में,—

(क) स्पष्टीकरण के खंड (भ) में, मद (2) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपापन अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए क्रय किए गए गेहूं और धान की बाबत

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त बोनस की रकम इन वस्तुओं के क्रय का भाग नहीं होगी"; और

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (यछ) में, मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) उपापन अधिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए क्रय किए गए गेहूं और धान की बाबत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त बोनस की रकम इन वस्तुओं के क्रय का भाग नहीं होगी ।"

3. व्यावृत्ति.—पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2007 का पंजाब अध्यादेश संख्यांक 1) के अधीन, जो प्रवर्तन में नहीं है, की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई समझी जाएगी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2008

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2007 (Punjab Act No. 8 of 2007), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In the Act, in Section 1,—

(a) in sub-section (1), after the words, brackets and figures "the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2007", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once".

2. In Section 2, after the words and figures "the Punjab Value Added Tax Act, 2005", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. Section 3 shall be omitted.

[F. No. U-11020/1/2007-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

ANNEXURE

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 31st July, 2007

No. 11-Leg./2007.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 23rd July, 2007, and is hereby published for general information :—

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2007

(PUNJAB ACT NO. 8 OF 2007)

An Act further to amend the Punjab Value Added Tax Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on and with effect from the 1st day of April, 2006.

2. Amendment of Section 2 of Punjab Act 8 of 2005.—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005, in Section 2,—

(a) in clause (x), in the Explanation, after item (2), the following item shall be added, namely :—
"(3) The amount of bonus, granted as an incentive by the Government of India from time to time in respect of wheat and paddy purchased for the central pool by the procurement agencies, shall not form part of the purchase price of these commodities."; and

(b) in clause (zg), in the Explanation, after item (6), the following items shall be added, namely :—
"(7) The amount of bonus, granted as an incentive by the Government of India from time to time in respect of wheat and paddy purchased for the central pool by the procurement agencies, shall not form part of the sale price of these commodities."

3. Saving.—Anything done or any action taken under the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2006 (Punjab Ordinance No. 1 of 2007), which has ceased to operate, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.